कार्यालय, जिला परिषद, खगड़िया।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद् अधिनस्थ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर के जमीन पर निर्मित स्टॉल 10'X 09'(दो अदद) स्टॉल लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित शर्त्तों एवं नियमावली के अधीन दिनांक 24.08.2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

ह० –

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद खगड़िया

ज्ञापांक–.....423...... / दिनांक .....24/7/19.....

प्रतिलिपि :–प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अंचलाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि स्थानीय स्तर पर डुग–डुगी बजवाकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी(एन0आई0सी0), खगड़िया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष, जिला परिषद्, खगड़िया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :–जिलाधिकारी, खगड़िया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/07

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद खगड़िया

Zila Parishad Letter 2019

कार्यालय, जिला परिषद्, खगड़िया

स्टॉल संबंधित आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद अधिनस्थ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर पूर्व निर्मित स्टॉल किराये पर देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से निम्नलिखित शर्त्तों एवं नियमावली के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 24.08.2019 तक कार्यालय अवधि में आमंत्रित किये जाते है।

सामान्य शर्त्ते

1. आवेदक अपने आवेदन के साथ मो0 10,000/–(दस हजार) का ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद खगड़िया के नाम संलग्न करें और डाक के पश्चात जिनका आवंटन नहीं होगा उन्हें वापस कर दिया जाय।
2. आवंटियों से स्टॉल की निर्धारित राशि एक मुस्त पगड़ी के रूप में जमा लिया जायेगा।
3. स्टॉल आवंटन हेतु निर्धारित अग्रिम राशि/पगड़ी की राशि/स्टेट बैंक का ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक दुकान आवंटन कर्त्ता को सचिव जिला परिषद खगड़िया के नाम से जमा करना होगा।
4. स्टॉल आवंटन हेतु आवेदक को एकरारनामा के समय मो0–1,00,000/–(एक लाख) रूपया का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद खगड़िया के नाम से पगड़ी के रूप में जमा करना होगा। दुकान छोड़ने पर अथवा जिला परिषद द्वारा दुकान से हटा दिये जाने पर जमाकर्त्ता अथवा उसके मृत्योपरान्त उनके विधिक वारिसान को बिना ब्याज के जिला परिषद द्वारा वापस कर दिया जाएगा। यदि दुकान को दुकानदार द्वारा किसी तरह का नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसका राशि उससे अथवा आवश्यकता पड़ी तो इसके अतिरिक्त भी वसूलनीय होगी।
5. प्रथम आवंटन के समय आवंटियों को जिला परिषद खगड़िया के द्वारा निर्गत नियम शर्त्तें के अधीन एकरारनामा करना होगा तथा 15 वर्षों के लिए पट्टावार किया जायेगा। 15 वर्षों के बीतने पर उस समय के निर्धारित नियमों/शर्त्तों के अंदर आवंटियों को नया एकरारनामा करना होगा। इसमें नियम/शर्त्तों के अनुपालन नहीं होने पर आवंटन रद्द करते हुए आवंटि बदला जा सकता है।
6. आवंटियों के साथ एकरारनामा का प्रारूप परिषदीय अधिवक्ता द्वारा नियमानुसार तैयार कर सक्षम पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा की स्वीकृति दी जायेगी।
7. प्रत्येक स्टॉल एवं गोदाम का मासिक किराया अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा निर्धारित दर प्रति वर्गफीट के अनुरूप अथवा खुली डाक द्वारा निर्धारित होगा।
8. प्रथम आवंटन की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष पर मासिक किराया की वृद्धि 25 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की जायेगी।
9. स्टॉल के लिए आवेदन कर्त्ता खगड़िया जिला के वासी होंगे तथा उन्हें आवासीय प्रमाण–पत्र देना होगा।
10. स्टॉल का आवंटन लौट्री अथवा खुली डाक द्वारा किया जायेगा।
11. जिला परिषद बिना कारण भी एक माह का अग्रिम नोटिस देकर दुकान खाली करा सकता है।
12. दुकानदार मात्र किरायादार होगा उसका सम्पत्ति पर किसी तरह का स्वामित्व या किसी भी तरह का हित या अधिकार नहीं होगा।
13. जिला परिषद के अनुमति के बिना स्टॉल किसी अन्य व्यक्ति को भाड़ा पर लगाने का अधिकार आवंटि को नहीं होगा।
14. स्टॉल में किसी प्रकार का गैर कानूनी व्यवसाय करने की छुट आवंटी को नहीं होगा।

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद खगड़िया।

Zila Parishad Letter 2019

सेवा में,

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, खगड़िया।

विषय :– **जिला परिषद अधिनस्थ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर पूर्व निर्मित आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

जिला परिषद कार्यालय के द्वारा नियम एवं शर्त्तें के आधार पर जिला परिषद अधिनस्थ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर पूर्व निर्मित 10'x 9' साईज का किराये पर लेने के लिए मैं भी इच्छुक हूँ। कार्यालय से प्राप्त नियम एवं शर्त्ते की प्रति के साथ स्टॉल आवंटन के लिए आवेदन कर रहा हूँ।

1. आवेदक का नाम ....
2. आवेदक का पिता/पति/अभिभावक का नाम ....
3. स्थायी पता :– .... ग्राम/मुहल्ला.. थाना :– .... पो0 :– ....सव रजिस्ट्री :– ....
4. मोबाईल नं0– ....
5. ईमेल आई0डी0:– ....
6. स्टॉल का साईज :– ....
7. व्यवसाय का किस्म :– ....
8. बैंक ड्राफ्ट संख्या :– .... बैंकर्स चेक :– ....
   राशि :– ....

<u>घोषणा :–</u>

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि जिला परिषद, खगड़िया द्वारा निर्धारित शर्त्तें एवं नियमावली का उल्लधंन करूँगा/करूँगी तो जिला परिषद को मेरे द्वारा दिये गये एकरारनामा को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :– .... **आदेवक का हस्ताक्षर**